भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 4890
सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन स्थलों पर पर्यटक पुलिस और हेल्पलाइन प्रणाली

4890. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशी और घरेलू पर्यटकों के प्रति अपराधों (चोरी, हमला, यौन उत्पीड़न) में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में जिन प्रमुख पर्यटन स्थलों पर समर्पित पर्यटक पुलिस अथवा हेल्पलाइन प्रणालियां हैं, उनके नाम का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इन हेल्पलाइनों पर अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार समर्पित पर्यटक पुलिस के होने के बावजूद विदेशी पर्यटकों के उत्पीड़न और पीछा करने जैसी शर्मनाक घटनाओं को रोकने में विफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पर्यटकों विशेषकर महिला विदेशी पर्यटकों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या योजना है ताकि देश की छवि धूमिल न हो?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उनके द्वारा विशिष्ट जानकारी एकत्रित नहीं की जाती है। हालांकि, वर्ष 2021-2023 के दौरान विदेशी नागरिकों के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत अपराध शीर्ष-वार दर्ज मामलों की जानकारी **अनुबंध** में दी गई है।

पर्यटकों की सुरक्षा और हिफाज़त मुख्य रूप से राज्य का विषय है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए जमीनी सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने हेतु समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना संबंधी मामले को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ लगातार उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों ने पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित और हिफाजत-युक्त बनाने के अपने नियमित प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए टोल फ्री नंबर

1800111363 या संक्षिप्त कोड 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन स्थापित की है, ताकि भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान की जा सके और भारत के भीतर यात्रा करते समय संकट में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके। वर्ष 2025 में पर्यटन मंत्रालय को पर्यटक हेल्पलाइन पर कुल 1,64,183 कॉल्स प्राप्त हुईं।

पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से निर्भया कोष के तहत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' का लाभ उठाने का अनुरोध करता रहा है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा और हिफाजत में सुधार के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों की, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति जैसे बुनियादी अधिकारों के साथ पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है।

****

अनुबंध

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे द्वारा पर्यटन स्थलों पर पर्यटक पुलिस और हेल्पलाइन प्रणाली के संबंध में दिनांक 23.03.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या 4890 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

वर्ष 2021-2023 के दौरान विदेशी नागरिकों के विरूद्ध अपराध के अंतर्गत दर्ज किए गए अपराध शीर्ष-वार मामलों का विवरण

क्र. सं.	अपराध शीर्ष	2021	2022	2023
1.1	हत्या	5	5	4
1.2	गैर-इरादतन हत्या	0	0	0
1.3	हत्या का प्रयास/इरादतन हत्या	2	2	2
1.4	साधारण चोट	5	3	4
1.5	गंभीर चोट	0	0	1
1.6	किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया हमला	7	8	21
1.7	अपहरण और अगवा करना	0	0	1
1.8	मानव तस्करी	2	3	7
1.9	बलात्कार	5	13	13
1.10	चोरी	19	21	28
1.11	रंगदारी	0	2	0
1.12	लूटपाट	5	4	6
1.13	डकैती	1	0	0
1.14	धोखाधड़ी	3	12	9
1.15	जालसाजी	0	0	8
1.16	महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना	0	0	0
1.17	आईपीसी के अन्य अपराध	9	14	12
1.18	अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम	3	6	6
1.19	अन्य एसएलएल अपराध	5	0	3
1	विदेशी पर्यटकों के विरूद्ध कुल अपराध	71	93	125
2.1	हत्या	4	9	9
2.2	गैर-इरादतन हत्या	0	0	0
2.3	हत्या का प्रयास/इरादतन हत्या	1	1	2
2.4	साधारण चोट	3	4	8
2.5	गंभीर चोट	1	0	1
2.6	किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया हमला	8	5	1

2.7	अपहरण और अगवा करना	3	7	12
2.8	मानव तस्करी	6	6	0
2.9	बलात्कार	9	15	14
2.10	चोरी	4	13	18
2.11	रंगदारी	0	0	2
2.12	लूटपाट	2	2	2
2.13	डकैती	1	0	0
2.14	धोखाधड़ी	11	9	12
2.15	जालसाजी	0	2	0
2.16	महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना	0	0	1
2.17	आईपीसी के अन्य अपराध	5	6	11
2.18	अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम	10	4	7
2.19	अन्य एसएलएल अपराध	11	16	13
2	अन्य विदेशी नागरिकों के विरुद्ध कुल अपराध	79	99	113
	विदेशी नागरिकों के विरुद्ध कुल अपराध (1+2)	**150**	**192**	**238**

स्रोत: भारत में अपराध

******